

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 अप्रैल , 2015

आय-कर

का.आ. 915(अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92गग की उपधारा (9) और उपधारा (9क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2015 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 10डक के उपनियम (5) के पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

परंतु किसी दशा में, जहां आवेदन 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व किया गया है, प्ररूप सं. 3गडघक को 30 जून, 2015 को या उससे पूर्व या करार में प्रवेश की तारीख, जो भी पूर्वत्तर हो, को अतिरिक्त फीस के संदाय के सबूत के साथ फाइल कर सकेगा :

परंतु यह और कि उस दशा में नियम 10थ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां करार 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व किया गया है, प्ररूप सं. 3गडघक को 30 जून, 2015 को या उससे पूर्व किसी समय अतिरिक्त फीस के संदाय के सबूत के साथ फाइल कर सकेगा और इस नियम के अनुसरण में उक्त करार के रोलबैक उपबंध के लिए करार को पुनरीक्षित कर सकेगा ।";

{अधिसूचना संख् या . 33/2015/फा .सं . 142/14/201 4-टीपीएल }

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं . का.आ.-969(अ) तारीख 26 मार्च ,1962 द्वारा
प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं . का .आ 758 (अ)
तारीख 14-03-2015 द्वारा आयकर (तीसरा संशोधन) नियम , 2015 द्वारा
उनमें संशोधन किया गया ।